प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय,बिलासपुर

रिट याचिका सेवा सं 3073/2016

भान सिंह दोहरे पिता भवानी लाल दोहरे, 30 वर्ष पूर्व सिपाही संख्या 285, निवासी पुलिस लाइन, जशपुर, जिला जशपुर नगर, छत्तीसगढ़ .वर्तमान निवास कदमतोली, जशपुर, पुलिस थाना जशपुर, जिला जशपुर छत्तीसगढ़,

---याचिकाकर्ता

बनाम

1. छत्तीसगढ़ राज्य सचिव के द्वारा, गृह विभाग पुलिस महानदी भवन, मंत्रालय, नई रायपुर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़।

2. पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय रायपुर जिला रायपुर छत्तीसगढ़।

3. पुलिस महानिरीक्षक, सरगुजा रेंज, सरगुजा छत्तीसगढ़, जिलाःसरगुजा (अंबिकापुर), छत्तीसगढ़

4.पुलिस अधीक्षक, जशपुर, जिला जशपुर छत्तीसगढ़।

5. थाना प्रभारी, पुलिस थाना जशपुर, जिला जशपुर छत्तीसगढ़।

---उत्तरवादीगण

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

याचिकाकर्ता हेतु :श्री शरद मिश्रा,अधिवक्ता

उत्तरवादी /राज्य हेतु :श्री राहुल तमस्कर, अधिवक्ता

एकल पीठ.–माननीय श्री संजय के. अग्रवाल,न्यायाधीश

पीठ पर आदेश

07.07 .2025

1. भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत इस रिट याचिका को दायर करके, याचिकाकर्ता उत्तरवादी संख्या 2, जो अपीलीय प्राधिकारी है, द्वारा पारित दिनांक 30/01/2012 (अनुलग्नक पी/2) के आदेश को चुनौती देना चाहता है, जिसके द्वारा अनुशासनात्मक प्राधिकारी अर्थात उत्तरवादी संख्या 4 द्वारा पारित दिनांक

28/05/2010 (अनुलग्नक पी/1) के उसके समाप्ति आदेश के खिलाफ उसके द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया गया है।

2. उपरोक्त चुनौती निम्नलिखित तथ्यात्मक पृष्ठभूमि पर दी गई है:---

(I) याचिकाकर्ता को पुलिस कांस्टेबल (जीडी) के पद पर नियुक्त किया गया था और 18/04/2009 को, उन्हें शासकीय कन्या मध्य विद्यालय, जशपुर नगर में परीक्षा उद्देश्यों के लिए सुरक्षा गार्ड के रूप में ड्यूटी सौंपी गई थी।17/04/2009 को उन्होंने अपनी सर्विस राइफल बट संख्या 222 के साथ तीन मैगजीन लीं, जिनमें कुल 60 राउंड थे।उस समय वह जशपुर नगर के कदमटोली में किराए के मकान में रह रहे थे, जहां कांस्टेबल जितेंद्र वर्मा भी पास के किराए के मकान में रह रहे थे।

(ii) उत्तरवादी /पुलिस विभाग का मामला यह है कि याचिकाकर्ता ने सादे कपड़ों में अपने आधिकारिक कर्तव्य का निर्वहन किया, अपने निवास पर अपनी सर्विस राइफल को लावारिस छोड़ दिया, जिसका उपयोग कांस्टेबल जितेंद्र वर्मा ने आत्महत्या करने के लिए किया और इस प्रकार, याचिकाकर्ता ने छत्तीसगढ़ पुलिस विनियम (इसके बाद, "पुलिस विनियम") के विनियम 64 (2) और 64 (6) के साथ-साथ छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 (इसके बाद, "1965 के नियम") के नियम 3 (1) (ii) में निहित प्रावधानों का उल्लंघन किया, 19/04/2009 को सेवा से निलंबित कर दिया गया था।

(iii) इसके बाद, 14/09/2009 को याचिकाकर्ता के विरुद्ध आरोप पत्र जारी किया गया जिसमें उसके विरुद्ध निम्नलिखित तीन आरोप लगाए गए:---

(क) यह कि, याचिकाकर्ता ने अपने आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में घोर लापरवाही दिखाई है, क्योंकि उसने उसे आवंटित सर्विस राइफल को अपने आवास पर लावारिस छोड़ दिया, जिससे पुलिस विनियमन के विनियमन 64(2) और 1965 के नियम 3(1)(ii) के प्रावधानों का उल्लंघन हुआ।

(ख) यह कि, याचिकाकर्ता ने निर्धारित वर्दी पहने बिना ड्यूटी के लिए रिपोर्ट किया और अपनी सेवा शाखा को पीछे छोड़ दिया, जिससे उसने अपने कर्तव्यों के निष्पादन में घोर लापरवाही का कार्य किया, जो पुलिस विनियमन के विनियमन 64(6) और 1965 के नियम 3(1)(ii) का उल्लंघन है।

(ग) यह कि, याचिकाकर्ता ने ड्यूटी समाप्ति के निर्धारित समय से एक घंटा पहले अपना ड्यूटी स्थल छोड़ दिया, जिससे वह अपने आधिकारिक दायित्वों से अनुपस्थित रहा और ऐसा करने में, उसने पुलिस विनियमन के विनियम 64(2) और 64(6) के साथ-साथ 1965 के नियम 3(1)(ii) का उल्लंघन किया।

(घ) इसके अनुसरण में, याचिकाकर्ता के विरुद्ध विभागीय जांच की गई और अंततः, 28/05/2010 (अनुलग्नक पी/1) को, उसके विरुद्ध उपरोक्त आरोप सिद्ध पाए जाने पर, उसे जांच अधिकारी होने के नाते उत्तरवादी संख्या 4 द्वारा सेवा से बर्खास्त कर दिया गया।सेवा समाप्ति के उक्त आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, उन्होंने अपीलीय प्राधिकारी होने के नाते उत्तरवादी संख्या 2 के समक्ष अपील दायर की,

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

लेकिन दिनांक 30/01/2012 के आक्षेपित आदेश (अनुलग्नक पी/2) द्वारा उनकी अपील को भी कोई योग्यता न पाते हुए खारिज कर दिया गया, जिसके कारण वर्तमान रिट याचिका दायर की गई।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री शरद मिश्रा ने प्रस्तुत किया कि चूंकि याचिकाकर्ता कांस्टेबल के निम्नतम पद पर कार्यरत था, इसलिए उसकी सेवा समाप्ति का आदेश पारित करने से पहले, जो अत्यधिक दंड की श्रेणी में आता है, पुलिस विनियम 226 के अंतर्गत निहित प्रावधान, विशेष रूप से विनियम 226 के उप-विनियम (iii) और (iv) का पालन किया जाना चाहिए था, इस प्रकार, विवादित आदेश, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता पर यांत्रिक और मनमाने तरीके से सेवा समाप्ति का अत्यधिक दंड लगाया गया है, को रद्द किया जाना चाहिए और पुलिस विनियम 226 के तहत उसे उचित दंड दिया जाना चाहिए।

4. श्री राहुल तामस्कर, राज्य के विद्वान अधिवक्ता , प्रस्तुत करते है कि याचिकाकर्ता, एक पुलिस कांस्टेबल होने के नाते, सादे कपड़ों में ड्यूटी में उपस्थित हुआ और अपनी सर्विस राइफल को लावारिस छोड़ गया, जिसका उपयोग कांस्टेबल जितेंद्र वर्मा ने आत्महत्या करने के लिए किया था, इसलिए, याचिकाकर्ता को सेवा समाप्ति की सजा देने वाला अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा पारित दिनांक 28/05/2010 का आदेश विधि के अनुसार है, इस प्रकार, तत्काल रिट याचिका खारिज किए जाने योग्य है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. मैंने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है, उनके उपरोक्त प्रतिद्वन्द्वी निवेदनों पर विचार किया है तथा अभिलेखों का अत्यंत सावधानी से अध्ययन किया है।

6. याचिकाकर्ता को अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा पुलिस विनियमावली के विनियम 64(2) और 64(6) के उल्लंघन का दोषी पाया गया है, जिसमें निम्नलिखित प्रावधान है:----------

64. सेवा की सामान्य शर्त।- पुलिस में नियुक्ति के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी को नियुक्ति से पूर्व पुलिस सेवा की सामान्य शर्तों से परिचित कराया जाना चाहिए, जो इस प्रकार हैं:---

(1)XXXXXX

2) वह पुलिस अधिकारी के रूप में अपने सभी कर्तव्यों को पूरा करने के लिए अपनी सर्वोत्तम क्षमताओं का निष्ठापूर्वक और ईमानदारी से उपयोग करेगा।(3) से (5) XXX XXX

6) ड्यूटी पर रहते समय वह ऐसी पोशाक और साज-सज्जा पहनेगा जो समय-समय पर सेवा के प्रत्येक पद के लिए निर्धारित की जाएगी और उसका रूप-रंग हमेशा साफ-सुथरा रहेगा।किसी भी समय कोई भी पुलिस अधिकारी आंशिक रूप से वर्दी और आंशिक रूप से मुफ्ती में नहीं दिखाई देगा।

(7) तक (12)

XXX"

7. उपर्युक्त विनियम 64(2) और 64(6) का उल्लंघन पुलिस विनियम के विनियम 214 के अंतर्गत दंडनीय है, जिसमें निम्नलिखित उल्लेख है:---

"214. दंड – प्रकार– किसी भी विधि या ऐसे विशेष आदेशों के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अधीनस्थ पुलिस सेवा में पद धारण करने वाले किसी भी सदस्य पर, उचित और पर्याप्त कारणों से, निम्नलिखित दंड लगाए जा सकते हैं:---

(I) पदोन्नति रोकना;

(ii) वेतन वृद्धि रोकना, जिसमें दक्षता अवरोध या वेतन वृद्धि में ठहराव भत्ता शामिल है;

(iii) किसी निर्दिष्ट अवधि के लिए निम्न पद या समय वेतनमान में अवनति या समय वेतनमान में निम्नतर स्तर पर अवनति, इस निर्देश के साथ कि अधीनस्थ पुलिस सेवा का सदस्य ऐसी अवनति की अवधि के दौरान वेतन वृद्धि या वेतन वृद्धि, जैसा भी मामला हो, अर्जित करेगा या नहीं और क्या ऐसी अवधि की समाप्ति पर यह अवनति उसके वेतन या वेतन वृद्धि या वेतन वृद्धि को स्थगित करने का प्रभाव डालेगी या नहीं;

टिप्पणी – "समय वेतनमान में निम्नतर स्तर पर कटौती" में अधीनस्थ पुलिस सेवा के सदस्य द्वारा आहरित वेतन स्तर से वेतन में कटौती भी शामिल होगी, जो ठहराव भत्ता, यदि कोई हो, प्रदान किए जाने के कारण होगी।

(iv) लापरवाही या आदेशों के उल्लंघन के कारण सरकार को या पुलिस के कल्याण के लिए बनाए गए किसी कोष को हुई किसी भी आर्थिक हानि की पूर्ण या आंशिक राशि की वेतन से वसूली;

(v) सेवा से निष्कासन, जो भविष्य में रोजगार के लिए अयोग्य नहीं बनाता;

(vi) सेवा से बर्खास्तगी, जो सामान्यतः भविष्य में रोजगार के लिए अयोग्य बनाती है; (vii) निलंबन दंड नहीं है; (viii) अनिवार्य सेवानिवृत्ति।"

8. इसी प्रकार, पुलिस विनियमन के विनियमन 226 में उन नियमों को निर्धारित किया गया है जिनका पालन यह निर्धारित करने के लिए किया जाना चाहिए कि किसी विशेष अपराध के लिए क्या दंड दिया जाना चाहिए, जो निम्नानुसार है:---

"226. दण्ड – जिन अपराधों के लिए दण्ड दिया गया है।---किसी विशेष अपराध के लिए क्या दंड दिया जाना चाहिए, यह निर्धारित करने में निम्नलिखित नियमों का पालन किया जाना चाहिए:---

(i)(क) बर्खास्तगी अंतिम उपाय है और सामान्यतः इसे तब तक नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि सुधार के अन्य सभी उपाय विफल न हो जाएं।

(ख) यदि बर्खास्तगी को उप–निरीक्षक के लिए बहुत कठोर दंड माना जाता है तो उसे सेवा से हटा दिया जाना चाहिए (यह बर्खास्तगी नहीं है)।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(ii) तथा **(iii) XXX (iv)** वेतनवृद्धि या तो अस्थायी या स्थायी (या हेड कांस्टेबल के मामले में ग्रेड में कमी) के साथ कर्तव्य की गंभीर लापरवाही के समस्त मामलों हेतु एक उपयुक्त सजा है।यह दंड पुलिस प्रक्रिया की दोषपूर्ण अज्ञानता, पुलिस थाने के कार्य संचालन में आलस्य या उदासीनता आदि के लिए भी दिया जा सकता है। प्रत्येक मामले में उचित चेतावनी दी जानी चाहिए और दंड देने से पहले सुधार का अवसर दिया जाना चाहिए।

(v) अकुशलता या असंतोषजनक सेवा के लिए देय वेतन वृद्धि को एक निश्चित अवधि के लिए रोका जा सकता है।कांस्टेबल के मामले में, इसे पहली बार में एक वर्ष से अधिक के लिए रोका नहीं जाएगा।यदि बाद में कोई अपराध इस अवधि के विस्तार को उचित ठहराता है, तो विभागीय जाँच आवश्यक है।

(vi) बार–बार लापरवाही और आदेशों की अवज्ञा के लिए जुर्माना एक उचित दंड है।समय की पाबंदी न होना वगैरह।जुर्माना मध्यम होना चाहिए; आधे महीने के वेतन का नुकसान, बहुत ही असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर, अधिकतम जुर्माना है जो कभी भी लगाया जाना चाहिए।सिपाहियों पर जुर्माना लगाना निषिद्ध है।"

9. वर्तमान मामले में, यदि याचिकाकर्ता के विरुद्ध लगाए गए आरोपों की जांच उपरोक्त पुलिस विनियमों के प्रकाश में की जाती है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता ने निर्धारित वर्दी पहने बिना ड्यूटी के लिए रिपोर्ट करके और सर्विस राइफल को अपने घर पर लावारिस छोड़कर और ड्यूटी समाप्ति के निर्धारित समय से एक घंटा पहले अपने ड्यूटी स्थान को छोड़कर लापरवाही दिखाई है, हालांकि, दिनांक 28/05/2010 के आदेश को पारित करने और याचिकाकर्ता को सेवा से बर्खास्तगी की चरम सजा देने से पहले, अनुशासनात्मक प्राधिकारी को पुलिस विनियमों के विनियमन 226 के उप–विनियम (i), (iv), (v) और (vi) के तहत निहित प्रावधानों पर विचार करना चाहिए था।इसी प्रकार, दिनांक 30/01/2012 का आदेश (अनुलग्नक पी/2) भी अपीलीय प्राधिकारी द्वारा यांत्रिक तरीके से पारित किया गया प्रतीत होता है, जिसमें उपरोक्त पुलिस विनियमों पर ध्यान दिए बिना अनुशासनात्मक प्राधिकारी के आदेश की पुष्टि मात्र की गई है।तदनुसार, दिनांक 28/05/2010 (अनुलग्नक पी/1) तथा 30/01/2012 (अनुलग्नक पी/2) के आदेशों को अपास्त किया जाता है तथा दंड की मात्रा के संबंध में, मामला अनुशासनात्मक प्राधिकारी अर्थात उत्तरवादी संख्या 4 को पुलिस विनियमन के विनियमन 226 (i), (iv), (v) तथा (vi) के अंतर्गत निहित प्रावधानों के आलोक में, यह ध्यान में रखते हुए कि बर्खास्तगी अंतिम संसाधन है, इस आदेश की प्रति प्राप्त होने की तिथि से दो महीने के भीतर एक नया आदेश पारित करने के लिए भेजा जाता है।

10. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, इस रिट याचिका को यहाँ ऊपर इंगित सीमा तक स्वीकृति दी गई है– तथा पक्षकारों को अपने खर्च स्वयं वहन करना होगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-
(संजय के. अग्रवाल)
न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः *हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवाहरिक प्रयोजनों हेतु* ***निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।***

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur